



## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल रवालियर मध्यप्रदेश

R - ४३३ - ०८४१५

नि० प्र० क०.-

१. नंदलाल आयु लगभग 70 वर्ष,

*देवाकर दीक्षित (ए.)*

मामूल २६२/१५ का

बिहारीलाल आयु लगभग 65 वर्ष,  
दोनों पुत्रगण स्व० श्री रामलाल  
निवासीगण ग्राम बरखेडीकलां,  
तहसील-हुजूर जिला-भोपाल (म०प्र०) .....

निगरानीकरण

राजस्व अफ फार्म  
राजस्व निवासीगण

*विरुद्ध*

१. सोदान सिंह आयु वयस्क,

२. बनश्याम आयु वयस्क,  
दोनों पुत्रगण स्व० श्री कैलाल  
निवासीगण-ग्राम बरखेडीकलां,  
तहसील-हुजूर जिला भोपाल म०प्र० .....

अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०

भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी  
(राजस्व) राजस्वानी पारियोजना कार्यालय भोपाल  
द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक-7/अपील/13-14 सोदान  
सिंह व अन्य विरुद्ध नंदलाल व अन्य में पारित  
अंतरिम आदेश दिनांक 19.02.2014 से दुष्टित  
होकर निगरानीकरण निम्न तथा एवं आषार पर  
माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन  
प्रस्तुत कर रहे हैं:-

13.5.2014

आवेदक की ओर से है  
दिवाली श्रीमिति आमनेश्वर -  
उपलब्ध ठोकर पुक्का वार्षिक  
लौटे का अचुतोदय किया गया।  
अचुतोदय द्विकार किया जाता है।  
पुक्का वार्षिक लिये जाने के कारण  
सभापति किया जाता है। अगावडे ५०।  
की ओर से श्री शशीलोहित लाला आमनेश्वर अमाध्यम।

अचुतोदय

13/5/14  
R.D.

Noted.

13/5/14  
आमनेश्वर का बाजार  
क्रान्ति क. 1

सुनील